5 रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

प्र. क्र. / निगरानी 2091-PBR-15

श्री रामसेवक शर्मा ओभि
द्वारा आज दि 6-7-15 को
प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 6-7-15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

ओमप्रकाश शर्मा एडवो
6-2015

1. ईश्वर प्रसाद गोस्वामी पुत्र जानकी वल्लभ गोस्वामी , उम्र 57 वर्ष ,
2. राधावल्लभ पुत्र घनसुन्दर , उम्र 66
3. रमेश कुमार पुत्र बैजनाथ , उम्र 45 साल
4. श्रीवल्लभ फौत द्वारा वैध वारिसान हरिओम व विनोद पुत्रगण श्रीवल्लभ उम्र क्रमशः , 32 व 30 ,
5. प्रभात पुत्र दुर्गा प्रसाद , उम्र 48 साल
6. बालस्वरूप पुत्र नन्नू लाल , उम्र 50
7. भगवती प्रसाद फौत द्वारा वारिस रामेश्वर प्रसाद पुत्र भगवती प्रसाद उम्र 40 वर्ष
8. वीरेन्द्र कुमार पुत्र राधा वल्लभ उम्र 52 साल
9. दुर्गा प्रसाद पुत्र घनसुन्दर, उम्र 68 साल
10. जानकी वल्लभ पुत्र घन सुन्दर उम्र 75 वर्ष

समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम करईखेरउ, तहसील व जिला शिवपुरी हाल टप्पा तहसील सुभाषपुरा जिला शिवपुरी म.प्र. — आवेदकगण

बनाम

1. म.प्र. शासन जरिये कलेक्टर जिला शिवपुरी — असल अनावेदक

2. अतर सिंह पुत्र मेहताब सिंह

3. गंगा सिंह पुत्र पंचम सिंह

4. सोने राम पुत्र अतर सिंह

5. स्वरूप पुत्र अतर सिंह

6. बलवंत सिंह पुत्र पंचम सिंह

7. कोकसिंह पुत्र अतर सिंह

8. रामवीर सिंह पुत्र अतर सिंह

9. नरेश पुत्र सरवंश सिंह

10 लायक सिंह पुत्र सरवंश सिंह

11. कदम सिंह पुत्र मूँगाराम

12. पन्ना लाल पुत्र करम सिंह

13. लायक सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह

14. लक्ष्मण सिंह पुत्र पजन सिंह

15. मेवाराम पुत्र लक्ष्मण सिंह

16. महेन्दर सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह

17. मोहर सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह

DØO समस्त आदिवासी

18. सभायाराम पुत्र छन्तू हरिजन

19 पुरूषोत्तम पुत्र रामकिशन

20 छीतर प्रसाद पुत्र हरिशचन्द

21. राजेश पुत्र पुरूषोत्तम ØØØØ लोहार

22. हजारी पुत्र जीवन लाल सोनी

23. अशोक पुत्र पंचूराम सोनी

24. सुरेश कुमार पुत्र मंगल चन्द

25 सुनील पुत्र हजारी लाल

26· मनोज पुत्र रामचरण

27· दिमान पुत्र कुंजा ब्राह्मण

28· सुखलाल पुत्र हल्लूराम

29· [illegible]

29 रमेश दयाल पुत्र मक्खन लाल

30· महेन्द्र पुत्र नकटू

31· बृजेश पुत्र लक्ष्मण

32· अशोक कुमार पुत्र दामोदर

समस्त जाति ब्राह्मण , निवासी ग्राम

करई केरऊ तहसील व जिला शिवपुरी

-- तरतिवि अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 क, नये संशोधन अधि· 2011 एम·पी·एल·आर·सी· विरूद्ध आदेश दिनांक 11 जनवरी 93 द्वारा पारित न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी प्र· क्र· 13/92-93 निगरानी स्वमेव म·प्र· शासन विरूद्ध अतर सिंह आदि के निर्णय से दुखी होकर

श्रीमान जी,

हम आवेदकगण की निगरानी तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

यह कि, नायब तहसीलदार तहसील व जिला शिवपुरी के द्वारा भूमि व्यक्तियों को ग्राम करई केरऊ में दिनांक 11·7·86 को केम्प आयोजित किया गया जिसमें आवेदकगण व अनावेदक क्र· 2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग. 2091–पीबीआर/15 **जिला शिवपुरी**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14.07.2015	आवेदकगण एवं शासन के विद्वान अभिभाषकों द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। कलेक्टर, जिला शिवपुरी के आदेश दिनांक 11–1–93 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। यह निगरानी कलेक्टर के आदेश दिनांक 11–1–93 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 6–7–15 को लगभग 22 वर्ष से भी अधिक समय के विलम्ब से प्रस्तुत की गई है और विलम्ब का कारण ग्राम में हुई चर्चा के दौरान आदेश की जानकारी होना दर्शाया है जो कि समाधानकारक नहीं है । जहॉ तक कलेक्टर के आदेश का प्रश्न है कलेक्टर द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथमदृष्टया विधिसंगत है कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण में विधिवत् उद्घोषणा का प्रकाशन नहीं कराया गया है और न ही इस तथ्य की जानकारी प्राप्त की गई है कि 29 व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में कितने व्यक्ति के अनुसूचित जाति के हैं और कितने व्यक्ति के अनुसूचित जनजाति के है। केवल पटवारी द्वारा आवेदन पत्र भरकर उपसरपंच को प्रस्तुत किया गया है । उपसरपंच द्वारा तहसीलदार को प्रस्तुत करने पर तहसीलदार द्वारा आदेश पत्रिका पर भूमि बंटन कर दिया गया है, परन्तु न तो पट्टे जारी किये गये हैं और ना ही मौके पर कब्जा दिया गया है। अतः उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 11–1–86 को निरस्त करने में वैधानिक कार्यवाही की गई, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। अतः यह निगरानी आधारहीन होने से इसी स्तर पर अग्राह्य की जाती हैं । **(मनोज गोयल)** **अध्यक्ष**	14-7-15